रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19—जनवरी 25, 2008 (पौष 29, 1929)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19—JANUARY 25, 2008 (PAUSA 29, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 17

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 51

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 57

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 175

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 25

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 39

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 11

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 17

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court..... 51

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 1

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 57

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 175

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... 25

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 39

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 11

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2008

सं. 1-प्रेज/2008.--भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में दिनांक 17 मार्च, 2007 को प्रकाशित शौर्य चक्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 93-प्रेज/2007, दिनांक 26 जनवरी, 2007 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

क्रम संख्या 25 में अंकित नाम श्री राम कर्ण भामेर
के स्थान पर श्री राम करण भाभर पढ़ा जाए।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

विषय : परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी 2008 से बढ़ाया जाना।

सं. 1/61/2004-निर्यात-1(1).--दिनांक 09 नवम्बर 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात I की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा सरकार ने परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन आरंभिक तौर पर 01 जनवरी 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय लिया था और बाद में इन प्रावधानों को दिनांक 31 दिसम्बर 2007 तक बढ़ा दिया गया था।

2. सरकार ने परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन अब 01 जनवरी 2008 से एक साल की अवधि के लिए और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

ज. प्र. दत्त
अवर सचिव

विषय : यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी 2008 से बढ़ाया जाना ।

सं. 1/61/2004-निर्यात-1(2): दिनांक 09 नवम्बर 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा सरकार ने यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन आरंभिक तौर पर 01 जनवरी 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय लिया था और बाद में इन प्रावधानों को दिनांक 31 दिसम्बर 2007 तक बढ़ा दिया गया था।

2. सरकार ने यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन अब 01 जनवरी 2008 से एक साल की अवधि के लिए और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

ज. प्र. दत्त
अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2008

संकल्प

सं. ई. 11015(3)2004-हिंदी (का.), इस मंत्रालय के दिनांक 30 नवम्बर, 2004, 13 दिसम्बर, 2004 और 2 मई, 2006 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि (दिनांक 30.11.2007 से 29.11.2008 तक) के लिए बढ़ाया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
यू-3 (ए) अनुभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2008

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है;

2. और जबकि (i) पुनिया रामाजायाम कालेज, (ii) पी. आर. इंजीनियरी कालेज और (iii)पूनिया रामाजायाम शिक्षा कालेज वाले पूनिया रामाजायाम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कालेज (प्रीस्ट) को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए जून, 2004 में श्री पूनिया रामाजायाथाम्मल शैक्षिक और धर्मार्थ न्यास, थंजावुर, तमिलनाडु से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सिफारिशों की इस मंत्रालय में 9.4.2007 को जांच की गई थी और प्रीस्ट को सम-विश्वतिद्यालय का दर्जा प्रदान करने वाले प्रस्ताव को मंत्रालय की दिनांक 25.07.2007 की अधिसूचना के द्वारा रद्द कर दिया गया था। इस निर्णय को इस मंत्रालय के दिनांक 29.08.2007 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा दोहराया गया था;

4. और जबकि प्रीस्ट द्वारा प्रस्तुत ताजे दस्तावेजों में उन कमियों को दूर कर दिया गया है जिनका उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में उल्लेख किया गया है, मामले पर इस मंत्रालय में पुनर्विचार किया गया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर केन्द्र सरकार एतद् द्वारा पूनिया रामाजायाम कालेज, थंजावुर वाले पूनिया रामाजायाम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, थंजावुर, तमिलनाडु को अस्थाई रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिए सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। यह उस तिथि से प्रभावी होगा जब पूनिया रामाजायाम कालेज सम्बद्धता विश्वतिद्यालय, नामतः भारतीदासन विश्वविद्यालय त्रिचरापल्ली, तमिलनाडु से स्वयं को असम्बद्ध कर लेता है। और यह उस शर्त के भी अधीन है कि प्रीस्ट को दिए गए दर्जे की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेषज्ञ समिति की सहायता से पांच वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी। प्रीस्ट को दर्जे की पुष्टि केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट और उस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

5. उपयुर्क्त पैरा 4 में की गई उद्घोषणा इस शर्त के भी अधीन है जिसका उल्लेख इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 3 पर किया गया है।

6. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूनिया रामाजायाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, थंजावुर या इसकी अंगीभूत शिक्षण इकाई को कोई योजनागत और योजनेत्तर सहायता अनुदान प्रदान करेंगे।

रवि माथुर
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

संकल्प

सं. 32-1/2006-सी डी एन--

संकल्प संख्या 32-1/2006-सी डी एन दिनांक 11 अक्तूबर, 2006 के जरिए राष्ट्रीय संस्कृति नीति तैयार करने पर विचार करने हेतु गठित समिति का कार्यकाल एतद्द्वारा नवीकृत किया जाता है और इसे आगे 30 अप्रैल, 2008 तक की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

अन्य सभी शर्तें एवं निबंधन पूर्ववत् हैं।

निहाल चंद गोयल
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 4th January 2008

No. 1-Pres/2008-The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 93-Pres/2007 dated 26th January, 2007 published in Part-I, Section-I of the Gazette of India on 17th March, 2007 relating to the award of Shaurya Chakra:-

In serial number 25, the name appearing as Shri Ram Karan Bhamer may be read as Shri Ram Karan Bhabhar.

BARUN MITRA
Joint Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 31st December 2007

Sub: **Extension of operation of residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2008.**

No. 1/61/2004-Exports-I (1) – Attention is invited to Notification No.1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, vide which the Government decided to enforce operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies initially for one year with effect from 1st January, 2005 and later on these provisions were extended upto 31st December, 2007.

2. Now, the Government has decided to extend the operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies for a further period of one year with effect from 1st January, 2008.

3. All other terms and conditions of the Notification dated 9th November, 2004 mentioned in Para 1 above will remain unchanged.

J. P. DUTT
Under Secy.

Sub: **Extension of operation of residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2008.**

No. 1/61/2004-Exports-I (2) – Attention is invited to Notification No.1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, vide which the Government decided to enforce operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies initially for one year with effect from 1st January, 2005 and later on these provisions were extended upto 31st December, 2007.

2. Now, the Government has decided to extend the operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies for a further period of one year with effect from 1st January, 2008.

3. All other terms and conditions of the Notification dated 9th November, 2004 mentioned in Para 1 above will remain unchanged.

J. P. DUTT
Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 4th January 2008

Resolution

No.E.11015(3)/2004-Hindi (.). In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated 30th Nov. 2004, 13th Dec. 2004 and 2nd May, 2006 the tenure of Hindi Advisory Committee of Ministry of Steel stands extended for one year i.e. with effect from 30.11.2007 to 29.11.2008.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Government and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be Published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH
Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 4th January 2008

No. F. 9-14/2004-U.3

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as deemed to be a university;

2. And whereas, a proposal was received from Sri Ponnaiyah Ramajayathammal Educational & Charitable Trust, Thanjavur, Tamil Nadu in June, 2004, seeking grant of status of deemed-to-be-university to Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), comprising (i) Ponnaiyah Ramajayam College, (ii) P.R. Engineering College and (iii) Ponnaiyah Ramajayam College of Education;

3. And whereas, the recommendations of the University Grants Commission (UGC) received in the matter on 09.04.2007 were examined in this Ministry and the proposal for conferment of status of 'deemed-to-be-university' to PRIST was rejected vide this Ministry's notification of even number dated the 25.07.2007. This decision was also reiterated vide this Ministry's subsequent notification of even number dated the 29th August, 2007;

4. And whereas, upon submission of fresh documents by the PRIST to remove the deficiencies as pointed out in the notifications referred to in para 3 above, the matter has once again been reconsidered in the Ministry in detail, and on the basis of the recommendations of the UGC, and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government do hereby declare 'Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology' (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu, comprising 'Ponnaiyah Ramajayam College', Thanjavur, Tamil Nadu, as deemed to be a university for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years with effect from the date the Ponnaiyah Ramajayam College is disaffiliated from its affiliating university, namely, Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, subject to a condition that the status conferred upon the PRIST will be reviewed after five years by the UGC with the help of an Expert Committee. The status shall be confirmed only on the basis of the performance report of UGC's Expert Review Committee and the recommendations of the UGC theron.

5. The declaration made in para 4 above is also subject to further conditions mentioned at Sr. No. 3 of the endorsement to this Notification.

6. Neither the Government of India nor the University Grants Commission shall provide any Plan and Non-Plan grant-in-aid to Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology, Thanjavur or its constituent teaching unit.

RAVI MATHUR
Joint Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 27th December 2007

RESOLUTION

No.32-1/2006-CDN

The tenure of the Committee constituted to consider drafting a National Policy on Culture vide Resolution No.32-1/2006-CDN Dated 11th October, 2006 is hereby renewed and extended for a further period ending April 30, 2008.

All other terms and conditions remain unchanged.

N. C. GOEL
Joint Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAO AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, OELHI, 2008